बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 12 अंक 48

नतीजे बनाम निष्कर्ष

यह सच है कि किसी चुनाव के नतीजों के बारे में सटीक पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता है लेकिन तमाम ओपिनियन पोल ने लगभग एक जैसे नतीजे दिए हैं। इनके मुताबिक भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सत्ता में वापसी कर रही है। पार्टी सबसे बड़े दल के रूप में उभर सकती है और आगामी सरकार एक गठबंधन सरकार हो सकती है। ऐसे में पार्टी के चुनाव घोषणापत्र पर करीब दृष्टि डालनी होगी। खासतौर पर इसलिए क्योंकि 2014 के घोषणापत्र में किए गए कई वादों ने मोदी सरकार के कदमों को संचालित किया। फिर चाहे मामला डिजिटलीकरण और तकनीक आधारित उपायों का हो, स्वच्छ भारत का या फिर गो संरक्षण का। विकास को लेकर मोदी के रुख की एक अहम बात यह है कि वह निष्कर्ष के बजाय नतीजों पर जोर देते हैं। उदाहरण के लिए कितनी रेलवे लाइनों का विद्युतीकरण किया गया यह नतीजा है जबकि रेलवे माल ढुलाई के आकार और उसकी गति पर इसका क्या असर हुआ यह निष्कर्ष है। जन धन योजना में कितने खाते खोले गए यह नतीजा होगा जबकि उन खातों के कितना लेनदेन किया गया, इससे हम एक निष्कर्ष पर पहुंच सकेंगे। बंदरगाह की क्षमता में इजाफा नतीजा है जबकि निर्यात और आयात की स्थिति से निष्कर्ष निकाला जा सकता है। इसका तात्पर्य उत्पादन को नकारना नहीं है। देश में राजमार्ग निर्माण की गति ने व्यापक अंतर पैदा किया है। परंतु यह भी साफ है कि नतीजों से अगर निष्कर्ष में बदलाव नहीं आता है तो वे अपने आप में पर्याप्त नहीं हैं। उदाहरण के लिए विद्यालयों में कमरों की संख्या चिकित्सकों की संख्या से काम नहीं चलेगा बल्कि साक्षरता और जीवन संभाव्यता मायने रखते हैं। इस मोर्चे पर बांग्लादेश हमसे आगे निकल चुका है।

इस नजरिये से देखें तो भाजपा का घोषणापत्र नतीजों की बात से भरा हुआ है: 75 नए मेडिकल कॉलेज की शुरुआत, राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड की स्थापना, हवाई अड्डों की संख्या दोगुनी करना, पेट्रोल में 10 प्रतिशत एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य हासिल करना वगैरह। अगर लक्ष्य बहुत महत्त्वाकांक्षी हों तो निष्कर्ष पर ध्यान केंद्रित करना अपेक्षाकृत मामूली बात है। मिसाल के तौर पर निर्यात को पांच वर्ष में दोगुना करना अथवा किसानों की आय को 2022 तक दोगुना करने की बात जो हकीकत से दूर है।

साप्ताहिक मंथन
टी. एन. नाइनन

वादे के मुताबिक अगर जीडीपी को 2018 के 2.7 लाख करोड़ डॉलर से 2025 तक 5 लाख करोड़ डॉलर तक पहुंचाना है तो हमें 9 फीसदी से अधिक की वार्षिक वृद्धि हासिल करनी होगी। घोषणापत्र में कहा गया है कि बीते पांच वर्ष में हमने अधिकतम 7.3 फीसदी की दर से वृद्धि हासिल की। ऐसे में यह उपरोक्त दर हासिल करने के लिए क्या किया जाएगा यह स्पष्ट नहीं। 2014 में कहा गया था कि देश को विनिर्माण का केंद्र बनाया जाएगा। इस बात को फिर दोहराया गया है। सवाल यह है कि इस बार ऐसा क्या किया जाएगा जो पहले नहीं किया गया? या फिर अगले पांच वर्ष में निर्यात को दोगुना कैसे किया जाएगा जबकि पिछले पांच वर्ष में निर्यात वृद्धि संभवत: चार दशक में सबसे धीमी रही?

घोषणापत्र की एक और बात यह है कि एक ओर जहां नतीजों से जुड़े लक्ष्यों और सरकारी कार्यक्रमों की भरमार है, वहीं नीतिगत मोर्चे पर बहुत कम ध्यान दिया गया है। नीतियों के प्रति यह पूर्वग्रह मोदी सरकार की पहचान रहा है और नए घोषणापत्र में भी पुरानी कहानी दोहराई है। बीते पांच वर्ष में निर्यात और विनिर्माण के मोर्चे पर नाकामी की तमाम वजहें हैं। कृषि की विफलता की वजह भी स्पष्ट हैं। इन कारणों का उल्लेख और वजहों का उल्लेख नहीं किया जाना भी घोषणापत्र की नाकामी है। यह समझना जरूरी है कि भारतीय कृषि कमी से अधिशेष की स्थिति में पहुंच चुकी है लेकिन नीतियां अभी भी वही पुरानी हैं और उन्हें कृषि निर्यात से या अधिशेष से निपटने की दृष्टि से नहीं बदला गया है। खाद्य प्रसंस्करण और बहुफसली खेती की मदद से ऐसा किया जा सकता है। अगर इस बात को नहीं समझा गया तो कृषि उत्पादों की कीमत में कमी की समस्या हल नहीं होगी। भाजपा ने ब्याज रहित ऋण की बात कही है, वह समस्या का हल नहीं है।

आप कह सकते हैं कि घोषणापत्र में इतनी ही बात कही जा सकती है और यह किसी थिंकटैंक का प्रपत्र नहीं है। कांग्रेस के एक सदस्य से जब पूछा गया कि पार्टी की बड़ी कल्याण योजना कैसे काम करेगी तो उसका जवाब कमोबेश यही था। अगर चुनावी वादों को विश्वसनीय बनाना है, खासतौर पर जब उसमें बड़े व्यय पैकेज या अतीत के रिकॉर्ड में बदलाव की बात कही गई तो नीतियों को लेकर व्यावहारिक सवालों पर खामोशी से बात नहीं बनती।

अजय मोहंती

नकदी प्रवाह में देरी और फंसा हुआ कर्ज

भुगतान में होने वाला विलंब अपने साथ कई तरह की समस्याएं लाता है। यह गैर निष्पादित परिसंपत्तियों का सबब भी बनता है। इस व्यवस्था में सुधार करना आवश्यक है। विस्तार से जानकारी दे रहे हैं **श्याम पोनप्पा**

देश में तमाम ऐसे लोग हैं जो मानकों और कानून प्रवर्तन में शिथिलता के अभ्यस्त हो गए हैं। शुरुआती तौर पर इनमें से एक, भुगतान में देरी पर बात करते हैं। आमतौर पर नागरिक, किसान, कॉर्पोरेट, छोटे कारोबारी और सरकारी एजेंसियां, सभी इसके शिकार होते हैं। ऐसा शायद इसलिए होता है क्योंकि भुगतान में देरी ऐसी कई घटनाओं में से एक है जिनका सामना हमें करना पड़ता है।

भुगतान में देरी, प्रक्रियात्मक प्रवाह की समस्याओं की शुरुआत है जो आगे चलकर फंसे हुए कर्ज की समस्या में तब्दील हो जाता है। शायद नकदी प्रवाह में देरी हमारी प्रक्रियाओं की बुनियादी खामी है जिसे हमें दूर करना ही होगा। इसके बाद ही हम विभिन्न समस्याओं को दूर करने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं।

जरा सरकारी भुगतान में होने वाली देरी पर विचार कीजिए। केंद्र और राज्य सरकारों के भुगतान में अक्सर देरी होती है। निजी क्षेत्र में तो ऐसा कहीं अधिक होता है। यहां तक कि उच्च प्राथमिकता वाले आईटी सिस्टम से संबंधित सरकारी भुगतान में भी बहुत अधिक देरी होती है। अधिकांश प्रमुख आईटी कंपनियां यह शिकायत करती हैं कि उन्हें इसी वजह से बड़ी परियोजनाओं में धनहानि होती है। नैसकॉम के कुछ वर्ष पुराने अनुमान के मुताबिक आईटी उद्योग पर सरकारी बकाया राशि 5,000 करोड़ रुपये से अधिक हो सकती है।

कुछ ऐसे कारक हैं जो घरेलू परियोजनाओं को आईटी उद्योग के लिए आकर्षक बनाते हैं। इनमें बड़े घरेलू आईटी बाजार, राज्यों और केंद्र सरकारों की बड़ी परियोजनाएं और बीते कुछ वर्ष से निर्यात में आ रहा धीमापन आदि शामिल हैं। हालांकि इसमें कम मार्जिन, सरकारी अनुबंधों में लगने वाला लंबा समय, भुगतान में देरी और भुगतान को लेकर विवाद तथा मुकदमों आदि की स्थिति भी बनती है। बड़ी आईटी कंपनियों की यह भी शिकायत है कि सरकारी प्रक्रियाओं में अक्सर अनुबंध में बदलाव भी किया जाता है। यही वजह है कि ये कंपनियां घरेलू सरकारी परियोजनाओं से दूरी बरतती हैं।

इस अवसर लागत से इतर भुगतान में देरी अर्थव्यवस्था में नकदी का संकट उत्पन्न करती है। बकाया कई महीने और कई बार वर्षों तक बढ़ता रहता है। आईटी के अलावा अन्य क्षेत्रों में भी यही समस्या है। उदाहरण के लिए विनिर्माण उद्योग में निजी ठेकेदारों का करीब एक लाख करोड़ रुपये से तीन लाख करोड़ रुपये का बकाया देरी के कारण उलझा हुआ है।

कुछ बैंकों का फंसा हुआ कर्ज निस्संदेह धोखाधड़ी और विभिन्न प्रकार के अपराध की बदौलत उत्पन्न होता है। वाणिज्यिक रूप से मजबूत परियोजनाओं में नकदी की समस्या फंसे हुए कर्ज को जन्म दे सकती है। बिजली उत्पादक कंपनियों में हम देख चुके हैं कि तनावग्रस्त परिसंपत्ति किस प्रकार फंसे हुए कर्ज की वजह बन सकती है।

बिजली मंत्रालय का पोर्टल दिखाता है कि जनवरी 2019 में बिजली वितरकों का बिजली उत्पादक कंपनियों पर बकाया 28,504 करोड़ रुपये था। इस बीच सर्वोच्च न्यायालय में 1.4 लाख करोड़ रुपये के फंसे हुए कर्ज वाली 34 कंपनियां आरबीआई के 12 फरवरी, 2018 के परिपत्र के विरुद्ध जूझ रही थीं। यह परिपत्र देनदारी चूकने वाली कंपनियों के तय समय में निस्तारण न करने पर ऋणशोधन अक्षमता एवं दिवालिया संहिता (आईबीसी) के तहत मामला चलाने की बात कहता था। बिजली मंत्रालय और आपूर्तिकर्ताओं ने आरबीआई के परिपत्र पर आपत्ति की और कहा कि कई मामलों में फंसे हुए कर्ज पर कर्जदार का नियंत्रण ही नहीं था।

इन कारकों में सरकारी वितरकों द्वारा भुगतान में देरी, कोयला आपूर्ति में समस्या या जैसा कि कुछ अन्य मामलों में देखा कर्जदारों का समूह ऋण पुनर्गठन के करीब था और दिवालिया घोषित होने से उनको कोई मदद नहीं मिलती।

कई बैंकरों ने सुझाव दिया कि आरबीआई के परिपत्र के मुताबिक 180 दिन में निपटान की बात अव्यावहारिक थी। जब डिफॉल्ट कर्जदार की पहुंच से बाहर की वजहों से होता है तब बड़े बैंक पुनर्गठन पर विचार करते हैं। इसमें राज्य बिजली बोर्ड के भुगतान में देरी अथवा सरकारी एजेंसियों, राज्य सरकार के बकाये या अन्य विपरीत परिस्थितियां मसलन कोयला आपूर्ति में बाधा आदि शामिल हैं।

सर्वोच्च न्यायालय ने आरबीआई के फरवरी 2018 के परिपत्र को 2 अप्रैल, 2019 को खारिज कर दिया। शायद अब इन परियोजनाओं को लेकर कहीं अधिक सकारात्मक राह निकले क्योंकि आरबीआई और बैंक अब कहीं अधिक सकारात्मक पुनर्गठन के विकल्प तलाशेंगे।

लंबित परियोजनाएं जो विभिन्न वजहों से परिचालन योग्य नहीं रह गई थीं। मिसाल के तौर पर जहां ईंधन आपूर्ति की दिक्कत है या बिजली क्रय समझौते नहीं हैं या फिर ग्राहकों का बकाया ज्यादा है, उन्हें अगर ग्राहक मिलने पर बेच भी दिया जाए तो भी यह विकल्प समस्या को हल करने वाला नहीं नजर आता।

परियोजनाएं तब तक लंबित या अनुत्पादक बनी रहेंगी जब तक उनकी अपर्याप्तताओं को दूर नहीं किया जाएगा। यानी उन्हें ईंधन नहीं मिलेगा, बिजली खरीद के समझौते नहीं होंगे या बकाया भुगतान नहीं किया जाएगा। जब तक ये कमियां दूर नहीं की जाती हैं तब तक समस्या बरकरार रहेगी।

आम धारणा दिवालिया परियोजनाओं की बिक्री की पक्षधर है। हालांकि यह कटु सत्य है कि उनको बेचने से उन परिस्थितियों में कोई सुधार नहीं होगा जिन्होंने डिफॉल्ट की स्थिति उत्पन्न की है। बेहतर यही होगा कि हम इस रुख को त्याग दें जहां डिफॉल्ट की वजहों को रेखांकित करने और उनमें सुधार करने के बजाय परियोजनाओं की बिक्री करके उनसे निजात पाने की कोशिश की जाती है।

क्या करने की जरूरत है?

समय पर भुगतान के मानक तैयार करना हमारे समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। इनका अनुपालन न करने वालों पर जुर्माना लगाया जाना चाहिए। केंद्र और राज्य सरकारों को इस विषय पर पहल करनी होगी और इसे शासन का अनिवार्य अंग बनाना होगा। ये कठिन कदम अपने आप में दिक्कतदेह हो सकते हैं लेकिन फंसे हुए कर्ज की समस्या से निजात पाने के लिए ऐसा करना आवश्यक है।

आरबीआई को नियामकीय निगरानी की व्यवस्था करनी होगी, उसे वास्तविक और समयबद्ध निगरानी और रिपोर्टिंग व्यवस्था बनानी होगी और जरूरी कदम तत्पर होकर उठाने होंगे। समुचित डिजाइन और तंत्र के साथ कर्ज को फंसे हुए कर्ज में तब्दील होने से रोका जा सकेगा। ऋण के नवीनीकरण के लिए अलग व्यवस्था की जा सकती है ताकि सामान्य कर्ज फंसे कर्ज में न बदले। इन समन्वित प्रयासों की बदौलत ही अच्छी परिसंपत्तियों को संकटग्रस्त होने से बचाया जा सकता है।

ऑनलाइन गतिविधियों से पुराने समाचार प्रकाशकों की उम्मीदें

मीडिया मंत्र
वनिता कोहली-खांडेकर

लेख के शीर्षक में कहा गया है कि 'कसरत हमें पैसे से कहीं ज्यादा खुश करती है'। इस सप्ताह सोमवार को 'द स्टाइलिस्ट' पत्रिका की वेबसाइट पर पोस्ट आधे दर्जन से अधिक लेखों में एक लेख यह भी था। इस पत्रिका की चार लाख से अधिक प्रतियां बेचने वाले स्टाइलिस्ट ग्रुप की मुख्य कार्याधिकारी एला डॉल्फिन का कहना है कि यह पत्रिका अपने डिजिटल अवतार में भी अच्छा प्रदर्शन कर रही है। एला का मानना है कि इस प्रदर्शन में 'स्वर एवं उद्देश्य' का अहम योगदान रहा है। उन्होंने गत सप्ताह डिजिटल मीडिया पर लंदन में आयोजित एक कार्यक्रम में ये बातें कहीं। स्टाइलिस्ट पत्रिका नारीवादी विचारों को स्पष्ट एवं सार्थक स्वर देने के लिए जानी जाती है और उस कार्यक्रम में मौजूद अधिकतर लोगों को उसने प्रभावित भी किया।

समाचारपत्र 'द गार्डियन' की मुख्य ग्राहक अधिकारी एना बेटसन ने अपने अभियान के लिए पाठकों से अनुदान जुटाने के लिए की गई कोशिशों के बारे में विस्तार से चर्चा की। दस लाख से अधिक पाठकों ने इस स्वतंत्र एवं उदार सोच वाले ब्रांड को अंशदान दिया ताकि उसे संकट से बाहर निकाला जा सके। इस अंशदान का बड़ा हिस्सा अमेरिका से मिल रहा है जिसके बाद ब्रिटेन और कुछ अन्य देशों के पाठकों का स्थान आता है। ब्रिटेन के अधिकांश समाचार ब्रांड, खासकर बीबीसी और द गार्डियन को अमेरिका में खासा समर्थन मिल रहा है। डॉनल्ड ट्रंप का उभार होने के बाद ध्रुवीकरण बढ़ने और मुख्यधारा मीडिया की विश्वसनीयता पर सवाल उठने की हालत में ब्रिटिश समाचार प्रतिष्ठानों को तटस्थ एवं भरोसेमंद ब्रांड के तौर पर देखा जा रहा है।

लंदन में आयोजित 'डिजिटल मीडिया स्ट्रैटजिज 2019' सम्मेलन में स्टाइलिस्ट और द गार्डियन समेत दुनिया भर के 30 मीडिया ब्रांड ने शिरकत की थी। इस दौरान संस्थानों ने परंपरागत स्वरूप से अपने डिजिटल रूपांतरण से जुड़े अनुभव साझा किए। समाचारपत्रों और पत्रिकाओं का प्रकाशन करने वाले इन संस्थानों ने डिजिटल सफर पर चलने के पहले जो सवाल पूछे और उनके जो जवाब मिले, उन्होंने मुझे सबसे अधिक प्रभावित किया। खास बात यह है कि प्रकाशकों की तरफ से पूछे गए सवाल और उन्हें मिले जवाब पूरी दुनिया में एक जैसे ही रहे हैं।

भारत में भी हालात अलग नहीं हैं। यहां पर प्रकाशन अब भी अपने ऑनलाइन प्रशिक्षण के दौर से गुजर रहा है। प्रकाशकों को इस बात को लेकर स्पष्ट राय रखनी होगी कि वे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर क्या करना चाहते हैं, उन्हें ऑनलाइन होने से जुड़ी सांस्कृतिक चुनौतियों का भी सामना करना है और इस सफर में तकनीक ऐसी डरावनी बात बनी हुई है जिसका सामना करना अधिकांश लोग पसंद नहीं करते। विषय सामग्री को ग्राहकों की पसंद के हिसाब से तैयार करने की समूची चर्चा ही उन्हें परेशान कर देती है। इसके अलावा राजस्व का मुद्दा भी है। किसी भी ब्रांड को ऑनलाइन पाठक या दर्शक के लिए मिलने वाला राजस्व ऑफलाइन राजस्व का दसवां हिस्सा या उससे भी कम होता है।

भारत के कुछ बेहद सफल ऑनलाइन समाचार ब्रांड में टाइम्स इंटरनेट, द एक्सप्रेस ग्रुप और विकतन की गिनती होती है। ऑनलाइन प्रकाशकों को भी सही राह मिलने के पहले वर्षों तक इन सवालों से जूझना पड़ा था। भारत के सबसे बड़े मीडिया समूह टाइम्स ग्रुप की डिजिटल इकाई टाइम्स इंटरनेट ने इस हद तक अपनी बांहें फैला ली हैं कि अब वह ईटीमनी या डाइनआउट के जरिये ऑनलाइन लेनदेन की सुविधा भी देता है, वीडियो प्लेयर खरीदकर उसे स्ट्रीमिंग ब्रांड 'एमएक्स प्लेयर' का नाम दे दिया है और डेटा साइंस एवं तकनीक को अपनी गतिविधियों के केंद्र में लाने के लिए कड़ी मेहनत की है।

टाइम्स ग्रुप वर्ष 1995 से ही इंटरनेट पर मौजूद रहा है लेकिन ऑनलाइन कारोबार में उसका विस्तार तब हुआ जब प्रवर्तक परिवार से जुड़े सत्यन गजवानी ने वर्ष 2011 में इसकी कमान संभाली। उन्होंने डेटा विशेषज्ञ गौतम सिन्हा को भी अपने साथ जोड़ा था जो अब टाइम्स इंटरनेट के सीईओ हैं। टाइम्स इंटरनेट दुनिया भर में 40 करोड़ से अधिक उपभोक्ता होने और 1,300 करोड़ रुपये से अधिक ऑनलाइन राजस्व कमाने का दावा करता है। ये आंकड़े उसे सबसे बड़े ऑनलाइन प्रकाशकों में से एक बनाते हैं।

'द इंडियन एक्सप्रेस' की पाठक संख्या 'द टाइम्स ऑफ इंडिया' का दसवां हिस्सा है और उसकी तुलना में छोटा प्रकाशक है। एक्सप्रेस समूह टाइम्स इंटरनेट के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा ऑनलाइन प्रकाशक बन चुका है। एक्सप्रेस समूह का दावा है कि उसके तमाम प्लेटफॉर्म पर कुल मिलाकर 13.8 करोड़ उपभोक्ता हैं। वर्ष 2012 में समूह के कार्यकारी निदेशक की जिम्मेदारी संभालने वाले अनंत गोयनका कहते हैं कि फोकस ही उन्हें इस स्थिति में लाया है। गोयनका कहते हैं, 'ब्रांड के विश्वसनीयता के बराबर होने की स्पष्टता ने ही एक कमोडिटी बाजार में मुकाबला करते समय निर्णय लेने में मेरी मदद की। कई लोग तमाम चीजें आजमा रहे थे लेकिन हमने कम कामों में ही हाथ डाला। इसके अलावा हमने बिजनेस-टू-बिजनेस पर ध्यान न देकर बिजनेस-टू-कंज्यूमर पर अधिक ध्यान दिया।' विज्ञापन पर अतिशय निर्भरता होने से 30,550 करोड़ रुपये वाला प्रकाशन उद्योग दशकों तक ऐसे कारोबार में ही उलझा रहा जो पाठकों को नहीं बल्कि विज्ञापनों को केंद्र में रखता आया है। पिछले कुछ वर्षों में मीडिया के तमाम क्षेत्रों में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बढ़िया प्रदर्शन करने वाली फर्मों के केंद्र में बिजनेस-टू-कंज्यूमर रवैया ही रहा है। चाहे वह नेटफ्लिक्स हो या फाइनैंशियल टाइम्स जिसके भुगतान करने वाले पाठकों की संख्या 10 लाख से अधिक हो चुकी है। कई विकसित बाजारों की तरह भारत में भी कई डिजिटल प्रकाशक या तो सबस्क्रिप्शन (द केन, रॉकेट पोस्ट, कैरवां, विकतन) या चंदे (द वायर) के जरिये राजस्व अर्जित करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि अमेरिका या ब्रिटेन के प्रकाशकों की तरह भारतीय प्रकाशकों को भी मुकाम हासिल करने में अभी कई साल लगेंगे। लेकिन यह जरूर सुकून देता है कि उनकी चुनी हुई राह जांची-परखी हुई है।

कानाफूसी

सुर्खियों में पटवारी

मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री जीतू पटवारी कुछ ऐसा करते रहते हैं जो उन्हें सुर्खियों में बनाए रखता है। पिछले दिनों एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वह देवास लोकसभा सीट के कांग्रेस प्रत्याशी प्रह्लाद टिपानिया को आदेश देते नजर आ रहे हैं। पटवारी उनसे कहते हैं, 'टिपानियाजी खड़े हो जाओ...अब बैठ जाओ।' वीडियो में टिपानिया उनके निर्देश का पालन करते नजर आ रहे हैं। इसके बाद पटवारी मालवी लहजे में बोलते हैं, 'इत्तो भलो आदमी दूसरो मिलेगो?' (इतना भला आदमी दूसरा मिलेगा?)। भाषण के बाद पटवारी ने टिपानिया के पैर छूकर आशीर्वाद मांगा लेकिन वीडियो का एक हिस्सा सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। लोग पटवारी की हरकत को अनुचित करार दे रहे हैं। टिपानिया लोक गायक हैं व उन्हें पद्मश्री सम्मान मिल चुका है।

चुनावी पेशकश

अगर आप देश के भविष्य को लेकर बहुत चिंतित नहीं हैं तो भी आपको मतदान करने अवश्य जाना चाहिए। चुनावी मौसम में विभिन्न कंपनियां मतदाताओं के लिए तोहफे ही तोहफे ला रही हैं। फैशन ब्रांड मार्क्स ऐंड स्पेंसर से लेकर विभिन्न आइसक्रीम कंपनियां और रेस्तरां तक उन मतदाताओं के लिए रियायती पेशकश कर रहे हैं जो अपनी अंगुली पर लगी मतदान की स्याही दिखाएंगे। चेन्नई में विभिन्न होटल संघों ने स्याही का निशान दिखाने वाले ग्राहकों को रेस्तरां के बिल पर 10 फीसदी की रियायत देने की घोषणा की है। यहां तक कि शहर के कुछ ब्यूटी सैलून भी मतदान करने वालों के लिए तरह-तरह की पेशकश लेकर आए हैं।

आपका पक्ष

सरकारी स्कूल की दयनीय स्थिति

रंगराजन समिति द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक देश में 29.5 प्रतिशत लोग गरीब हैं जो भोजन, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि मूलभूत चीजें जुटाने में आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हैं। इसलिए सरकार कई योजनाएं चलाती हैं तथा काफी हद तक गरीबी कम करने में कामयाब भी रही हैं। लेकिन बात शिक्षा की आती है तो आज भी कई मध्यम वर्गीय और गरीब परिवार महंगी फीस के कारण अपने बच्चों को निजी स्कूल नहीं भेज पाते हैं। इसलिए वे सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों का दाखिला कराते हैं। सरकार ने वर्ष 2000 में 6 से 14 साल के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था मौलिक अधिकारों के अंतर्गत की है लेकिन धरातल में दिखाई नहीं पड़ता है। सरकारी स्कूल की व्यवस्था दिन प्रतिदिन दयनीय होती जा रही है। कई सरकारी स्कूलों में मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। अंतरिम बजट में भी सरकार ने शिक्षा क्षेत्र के लिए कोई बड़ी घोषणा नहीं हुई। निजी स्कूलों में फीस बढ़ने के कारण मध्यमवर्गीय अभिभावक पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। लेकिन

सरकारी स्कूलों में बुनियादी ढांचा तथा शिक्षा का स्तर सुधारने की जरूरत है

वे सरकारी स्कूल की लचर व्यवस्था देखकर सरकारी स्कूल में बच्चों को दाखिला कराने से कतराते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव लाने के लिए केवल शिक्षा नहीं बल्कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना जरूरी है। सुब्रमण्यम समिति की सिफारिशों को लागू करने की जरूरत है। आम बजट में शिक्षा क्षेत्र को पर्याप्त राशि मुहैया करानी चाहिए और हर साल इसका मूल्यांकन करना चाहिए। शिक्षा का अधिकार के प्रावधानों को कड़ाई से लागू करना चाहिए ताकि एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देकर देश का भविष्य उज्ज्वल बन सके।

निशांत महेश त्रिपाठी, नागपुर

लोगों की कार्य क्षमता होगी प्रभावित

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने न्यूनतम आय के रूप में देश के पांच करोड़ गरीब परिवारों को सालाना 72,000 रुपये की राशि देने का वादा किया है। इस वादे से राजकोष पर 3.6 लाख करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा। इस योजना के लागू होने से लोगों की कार्य क्षमता प्रभावित हो सकती है, जिससे विनिर्माण, सेवा, कृषि और विशेष रूप से जीडीपी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। यह योजना लागू होने से मूलभूत सामाजिक कार्य और कल्याणकारी कार्य करने की राज्य की क्षमता पर बुरा असर पड़ेगा। आय की असमानता या गरीबी को इस तरह नहीं मिटाया जा सकता है। इसके लिए भोजन, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, पेयजल व स्वच्छता आदि क्षेत्र में सुविधाएं देनी चाहिए। ऐसी योजनाएं केवल तभी लागू की जानी चाहिए जब सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में बुनियादी ढांचे का लक्ष्य पहले ही हासिल किया जा चुका हो।

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिजनेस स्टैंडर्ड लिमिटेड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली - 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in उस जगह का उल्लेख अवश्य करें, जहां से आप ईमेल कर रहे हैं।